



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225810
CG-DL-E-11032021-225810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1033]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1033]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1121(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा सिक्किम राज्य के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले में NH-510 के कि.मी. 75.000 से कि.मी. 90.210 (जिला कलेक्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 17 जनवरी 2021 को "हाम्रो प्रजाशक्ति" और तारीख 18 जनवरी, 2021 को "समिट टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

सिक्किम राज्य के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले में NH-510 के कि.मी. 75.000 से कि.मी. 90.210 (जिला कलेक्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: सिक्किम		जिले का नाम: वेस्ट डिस्ट्रिक्ट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: ग्याल्शिग				
	गांव का नाम: सारदुंग				
1	581	निजी	ड्राई	0.0703	बिरखा बहादुर राइ (५८१)
2	581	निजी	ड्राई	0.0322	बिरखा बहादुर राइ (५८१)
3	582	निजी	ड्राई	0.0684	बिरखा बहादुर राइ (५८२)
4	588	निजी	ड्राई	0.0519	गरजा मन राइ (५८८)
5	588	निजी	ड्राई	0.3046	गरजा मन राइ (५८८)
6	589	निजी	ड्राई	0.0583	धन बहादुर गुरुंग (५८९)
7	589	निजी	ड्राई	0.3037	धन बहादुर गुरुंग (५८९)
8	590	सरकारी	ड्राई	0.0019	फॉरिस्ट खासमल (५९०)
			कुल	0.8913	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Gyalshing/Legship-Gyalshing/PKGV/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1121(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-510 on the stretch of land from Km. 75.000 to Km. 90.210 (District Collectorate , West Sikkim.) in the district of WEST DISTRICT in the state of SIKKIM ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Summit Times*” and “*Hamro Prajashakti*” dated 18 January 2021 and 17 January 2021 respectively; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-510 in the stretch of land from Km. 75.000 to Km. 90.210 NH-510 (District Collectorate , West Sikkim.) in the district of WEST DISTRICT in the state of SIKKIM

State: SIKKIM		District: WEST DISTRICT			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gyalshing				
	Village: Sardung				
1	581	Private	Dry	0.0703	BIRKHA BDR RAI 581
2	581	Private	Dry	0.0322	BIRKHA BDR RAI 581
3	582	Private	Dry	0.0684	BIRKHA BDR RAI 582
4	588	Private	Dry	0.0519	GARJA MAN RAI 588
5	588	Private	Dry	0.3046	GARJA MAN RAI 588

6	589	Private	Dry	0.0583	DHAN BDR GURUNG 589
7	589	Private	Dry	0.3037	DHAN BDR GURUNG 589
8	590	Government	Dry	0.0019	FOREST KHASMAL 590
			TOTAL	0.8913	

[F. No. NHIDCL/PMU-Gyalshing/Legship-Gyalshing/PKGVII/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director